भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 007209

जनरल स्टाम्प पेपर विकास ग्रुप ऑफ एजु० सोसाइटी, गोरखपुर
[illegible] कालोनी (बड़ी) मधुर मिलन के सामने पो० गोरखनाथ
जिला गोरखपुर ...फाइल नं० ...बी-5/1/4/28
संशोधित नियमावली ...के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
13-2-2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 007208

जनरल स्टाम्प पेपर विकास ग्रुप ऑफ एजु० सोसाइटी, गोरखपुर 75-B राजेन्द्र नगर कॉलोनी (पूर्वी) मयूर बिल्डिंग के सामने पो० गोरखनाथ जिला गोरखपुर फाइल नं० के साथ संलग्न है। संजीव श्रीवास्तव

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
13-2-2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 007208

जनरल स्टाम्प पेपर विकास ग्रुप ऑफ एजु० सोसाइटी, गोरखपुर 75-ए राजेन्द्र नगर कॉलोनी (पूर्वी) मधुर मिलन के सामने पो० गोरखनाथ
जिला गोरखपुर फाइल नं० [illegible] संशोधित नियमावली के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज [illegible]
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
13-2-2020

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 007212

जनरल स्टाम्प पेपर. प्रियांश ग्रुप आफ एजु० सोसाइटी
[illegible] राजेन्द्र नगर कालोनी (पूर्वी) मधुर मिलन के सामने पोस्ट गोरखनाथ
जिला गोरखपुर फाईल नं० जी-41927
प्रबन्ध समिति के साथ संलग्न है।
की सूची वर्ष-2019-2020

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
14-2-2020

संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम – विकास ग्रुप आफ एजुकेशनल सोसाइटी, गोरखपुर
(2) संस्था का पूरा पता –753,ए राजेन्द्र नगर कालोनी (पूर्वी) मधुर मिलन के सामने, पोस्ट आफिस– गोरखनाथ, जनपद–गोरखपुर पिन 273015
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र –सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
(4) संस्था का उद्देश्य –संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:–

1– प्राइमरी स्कूल का संचालन करना।
2– हायर सेकन्ड्री स्कूल का संचालन करना।
3– छात्र–छात्राओं का संचालन करना।
4– डिग्री कालेज का संचालन करना जिसमें साइन्स, कामर्स, आर्टस एवं टेक्नोलोजी एजुकेशनल।
5– ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के इन्जीनियरिंग कालेज को खोलना एवं संचालन करना जिसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन कम्प्यूटर, इन्जीनियरिंग, टेक्नोलोजी इत्यादि व अन्य शाखाएँ व इससे सम्बन्धित कोर्स प्रारम्भ करना व फैकल्टी खोलना व संचालन करना इसके अतिरिक्त आर्कटेक्चर फार्मेसी मैनेजमेंट, कैटरिंग इन्डस्ट्रीज इत्यादि के विषय खोलना एवं संचालन करना एवं इसके सम्बन्ध में अन्य शाखाएँ जो वर्तमान में उपयोगी है व जो भविष्य में आयेंगी और छात्र–छात्राओं के लिए उपयोगी होंगे उनकी पढ़ायी करवाना।
6– तीन वर्षीय डिप्लोमा इन्जीनियरिंग कालेज पालीटेक्निक का खोलना व संचालन करना जिसमें सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन कम्प्यूटर, इन्जीनियरिंग, टेक्नोलोजी इत्यादि व अन्य शाखाएँ व इससे सम्बन्धित कोर्स प्रारम्भ करना व फैकल्टी खोलना व संचालन करना इसके अतिरिक्त आर्कटेक्चर फार्मेसी मैनेजमेंट, कैटरिंग इन्डस्ट्रीज इत्यादि के विषय खोलना एवं संचालन करना एवं इसके सम्बन्ध में अन्य शाखाएँ जो वर्तमान में उपयोगी होंगे उनकी पढ़ाई करवाना। उपरोक्त सभी कार्य व संस्थाओं की स्थापना व संचालन शासन व सम्बन्धित विभाग की पूर्व अनुमति मिलने के उपरान्त ही किया जायेगा।
7– ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के डेन्टल कालेज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कालेज (बी0बी0ए0 व एम0बी0ए0) इत्यादि को खोलना व संचालन करना व पूर्व अनुमति मिलने के उपरान्त ही किया जायेगा।
8– ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के मेडिकल कालेज (एलोपैथि, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी) आदि की शिक्षा शासन व सम्बन्धित विभाग की अनुमति से दिया जायेगा।
9– नर्सिंग की ट्रेनिंग से सम्बन्धित स्कूल/काजेज खोलना व संचालन करना पूर्व अनुमति मिलने के उपरान्त ही किया जायेगा।

Himanshu   Mallika   Nishantha
L.C. Nishad
Reeta Rani
Sham Bh...
संकुतला   ...

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

10– समाज के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इन्जिनियरिंग कालेज, टेक्निकल कालेजो की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना।

11– शिक्षा की सुविधा पदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेतु सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 पैट्रन पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।

12– नवयुवक एवं नवयुवतियो को मकैनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध करना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगो, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर एव हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।

13– निर्बलों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

14– समाज में व्यवसायपरक कम्प्यूटर शिक्षा को बढावा दनेने के लिए सभी प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी एवं बिजनेस मैनेजमेन्ट कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक कॉलेजों की स्थापना करना।

15– भारत में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना जैसे कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस, डिजिटल इण्डिया, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, स्वस्छ भारत अभियान, मेक इन इंण्डिया, प्रधानमंत्री आवास योजन, प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमत्री कृषि सिचाई योजना, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय खेल प्रतिमा खोज योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इत्यादी का प्रचार प्रसार करना तथा योजनाओ के बारे में लोगो को निःशुल्क जानकारी व जागरूक करना तथा लोगों को उपरोक्त योजनाओ के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

16– समाज के उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विसा हेतु शिक्षण संस्थाओं के स्थापना एवं संचालन से सम्बन्धित कार्य करना तथा समाज के पिछड़े अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु औद्योकगक प्रशिक्षण जैसे–कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी0टी0पी0, सिलाई कढाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण, रेक्सीन कला गृहसज्जा, अचार, मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्युटीपार्लर की जानकारी देना तथा खादी ग्रामाद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, कला, चमड़ा उद्योग, रैक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।

17– समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक जैसे टाइपिंग, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, स्कीन प्रिटिंग, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायमैन, डीजल मैकेनिक, रेडियो ट्रेनिंग, लघु तथा कुटीर उद्योग, मोटर बाईडिंग, टी0वी0 प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के प्रति प्रयास करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उसे संचालित करना।

Himanshu Mallika Niharika

Reeta Rani LC Nishad

Shashi Bhush

सकुंतला

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

18—कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई के साधन, तथा कृषि उपज को बढ़ावा मिल सकें एवं उद्यान विभाग, मशरूम बोर्ड, कृषि विभाग उ0प्र0, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक वनौषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा लोगों को निःशुल्क वितरण करना।

19—मधुमक्खी पालन तथा उससे सम्बन्धित रिसर्च एवं इन्स्टिट्यूट/ट्रेनिंग सेन्टर खोलना तथा पशुपालन, गौ पालन व गौशाला तथा डेयरी फार्म खोलना तथा उससे सम्बन्धित रिसर्च एवं इन्स्टिट्यूट/ट्रेनिग सेन्टर खोलना व संचालन करना यदि आवश्यक हुआ तो अनुमति उपरान्त किया जायेगा तथा मत्स्य पालन, इंमू पालन, कुक्कुट पालन रेशम कीट पालन, भेड़ों का पालन तथा उपयोगी पशु पक्षियों के पालन तथा उनसे प्राप्त होने वाले वस्तुओं के उपयोग को जन जन तक पहुँचा कर उनकी उपयोगिता के लाभ को समाज के हर वर्गो तक पहुचाने के सभी कार्य करना तथा सभी प्रकार के सुपरफूड जैसे (किनोवा, ओट्स) और सभी तरह के खाद्यय प्रदार्थ एवं पेय प्रदार्थ को पैदा करना तथा उससे सम्बिन्धित रिसर्च एवं इन्स्टिट्यूट/ट्रेनिग सेन्टर खोलना व संचालन करना यदि आवश्यक हुआ तो अनुमति के उपरान्त किया जायेगा।

20— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बालकल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण से संबन्धित योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुचाने में सहयोग करना।

21—निर्धन तथा कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास का निर्माण कराना व उसके व्यवस्था का संचालन करना।

22— देश—विदेश से आये विद्यार्थियो, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मार्थ धर्मशालाओं का निर्माण कराना व उसकी व्यवस्था का संचालन करना।

23— महिलाओं को स्वालम्बी बनाने हेतु टेक्निकल विद्यालयों, कृषि विद्यालयों, की स्थापना करना तथा उसके माध्यम से उन्हें सिलाई, कढ़ाई, कशीदाकारी, बुनाई, तथा वस्त्रोद्योग का प्रशिक्षण देकर उन्हें योग्य बनाना तथा कोष्ठकला उद्योग का संचालन करना।

24— शोध रिसर्चसेन्टर का प्रबन्ध करना तथा शोध करने वाले बालक—बालिकाओं को हर प्राकार की सुविधा प्रदान करना व स्वरोजगार के प्रति स्वावलम्बी बनाना।

25— विभिन्न प्रकार की जन सभाएं कराना, प्रेस कॉनफ्रेन्स, तथा अन्य सामाजिक/सास्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करना।

26— खेलो को बढ़ावा खेलो के प्रति गावों एवं शहरो में अभिरूचि पैदा करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना तथा संस्था के माध्यम से खेलों के मैदान, स्टेडियम आदि का निर्माण एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना व खिलाडियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।

27— माताओं के विकास, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना व बाल विकास कार्यक्रम विकसित करना तथा दहेज प्रथा, अन्धविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

Himanshu Mallika Niharika

L C Nishad

Reeta Rani

Shashi Bhu

संकुन्तला

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

28— दैवी आपदा, भूकम्प, बाढ़, सुनामी इत्यादि से पीड़ित जनो की सहायता करना तथा हैजा, प्लेग, टी० बी० महामारियों से समाज को बचाने के लिए तथा एड्स जैसे बीमारियों के फैलाव को रोकने के हेतु हर संभव प्रयास करना तथा कुष्ट निवारण एवं विकलांगता को दूर करने के लिए निःस्वार्थ सेवा करना।

29— जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मनोरंजक कार्यो प्रदर्शनियों तथा मेलों का आयोजन करना।

30— जीवन जीने की कला के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं स्थायी जीवन पद्धति के लिए आम जनमानस में योगासन केन्द्र एवं ध्यान केन्द्र खोलकर अभ्यास करना तथा व्याहारिक पहलुओं को अपनाने हेतु प्रयास करना।

31— गौ सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना एवं जीव जन्तु कल्याण हेतु समस्त प्रकार के कार्य करना एवं जीव जन्तु कलयाण बोर्ड से जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओ हेतु आवेदन करना

तथा सहायता प्राप्त कर उन्हे भौतिक रूप से क्षेत्र मे लागू करना जिससे जीव जन्तुओं की रक्षा हो

सके एवं जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगो मे जागृति पैदा करना एवं जीव जन्तुओं के प्रति सुरक्षा

के दृष्टिकोण को बदलना जिससे लोगो के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा हो तथा जीव जन्तुओं के प्राकृतिक निवास स्थलो को नष्ट होने से बचाना तथा उनको क्षति पहुचाने वाले से बचाना जिससे प्रजनन तथा सृजन मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं बन्य जीवो को कल्याण कार्य करना तथा उनके अभायरणो के छति को बचारा तथा उनको छति पहुँचाने वालो को

सरकारी नियमो के अधीन दण्डित करने की कार्यवाही करना।

32— समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना तथा समाज को साक्षर बनाने के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

33— शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगो हेतु कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए निःशुल्क आश्रम बनवाना तथा विशेष कर मूकबधिर/विकलांगों के लिए सांस्कृतिक कार्यकमों को आयोजन करवाना एवं विकलांग बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रबंध करना तथा निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करना।

34— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यकमों को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्यो को करना तथा इस हेतु जनहित सेवा कैम्पो व चिकित्सालयों, चिकित्सा शिक्षा केन्द्रों, बीमारों के पचिारकों के रहने हेतु आश्रम गृहों का निर्माण एवं संचालन कर बिना लाभ हानि के सेवा भाव से कार्य करना तथा जनसंख्या हेतु परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यकमों एवं तरीकों के प्रति आम जन मे जागरूकता पैदा करना तथा कैन्सर एवं एड्स जैसे रोगों के बचाव हेतु जन चेतना जागृत करना व निदान हेतु सभी प्रकार के कार्य संचालित करना तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कैम्प लगाकर लोगों का इलाज करना एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओ को संचालित करने हेतु सभी प्रकार के कार्य करना। Shashi Bhu[illegible]

35- सिलाई तथा कम्प्यूटर [illegible] बालिकाओं के लिए [illegible] तथा [illegible] 2381 [illegible]

36— आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्युनिटी हाल, बारात घर, वृद्धा आश्रम, महिलाओं के लिए आश्रम, अनाथालय, प्याउ, वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियों, रात्रि निवास, शॉर्ट स्टे होम, मुकबधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना।

Himanshu Mallika Niharika

L.C. Nishad

ReetaRani

ShashiBhu शकुन्तला [illegible]

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible] (उ० प्र०)

37– स्वयं सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी करना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना, सरकार की रोजगार परक योजनाओं में सहयोग करके शिक्षित बेरोजगार नवयुवको व नवयुवतियों को रोजगार की निःशुल्क जानकारी प्रदान कराना तथा गरीब बेसहारा लडकियों की शादी करवाना एवं सामूहिक वियाहों का अयोजन करवाना।

38– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा उ0प्र0 सरकार, भारत सरकार व राज्यों व सरकारों और विदेशी सगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना।

39– पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र में हर सम्भव कार्य कर प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा मानव जीवन के प्रति हितैषी पशु पक्षियों के विलुप्त होती प्रजातियों को समाप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक कार्यो को करना।

40– वैकल्पिक ऊर्जा व बायोगैस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यकमो सहित संस्था द्वारा स्वविवेक से उन सभी कार्यकमो का निष्पादन करना जो समाजपयोगी हो तथा उनका प्रचार प्रसार संरक्षण, सम्बर्धन व प्रयोग तथा (शोध) अविष्कार के क्षेत्र में प्रयास करना एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सतर पर कार्यकम संचालित करना।

41– समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यकम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरो आदि का आयोजन व संचालन करना।

42– महिलाओं/ बालिकाओं/ युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, ललितकला, संगीत गायन, खेलने, नाटक, कवि गोष्ठियों तथा संस्कृति के विकास, डांस कम्पीटशन, चिकन जरी, डाल मेकिंग, फ्लावर, मेकिंग, वाल पेन्टिग, खादी एवं हस्त शिल्पकला, मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वालम्बन की भावना जागृत करना।

43– समाज के मूक, बधिरों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एव शोषित वर्ग के लोगो के उत्थान हेतु कार्य करना।

44– खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति एवं पैटर्न के अनुसार काष्ठ कला, लौहकला एवं अन्य ग्रामोद्योग इकाईयो की स्थापना प्रचार प्रसार व संचालन करना।

45– मशरूम उत्पानद, कृषको की गोष्ठियों का आयोजन, बागवानी, हाल्टिकल्चर विभाग के माध्यम से नर्सरी कृषको को नई तकनीकी पत्तल, आचार, जैम, जैली, मुरब्बा, अनाज दाल प्रशोधन खाद्य प्रसंस्करण आदि का महिलाओं/युवाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना एवं महिमा समूहो/युवा केन्द्रो की स्थपना व संचालन करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव शिविरों का आयोजन करना एवं पशुपालन तथा डेरी मिल्क इकाई विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योग, मछली पालन, मक्खी पालन तथा रेशम कीट का पालन, शेरीकल्चर उद्योग की जानकारी करना।

Shivanshu Mallika Niharika

L.C. Nishad

Reeta Rani

Shashi Bhusan

सकुन्तला

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

46– गाँव में उपलब्ध अस्थायी कृषि वेस्ट, किचन वेस्ट, गोबर तथा अन्य बेकार प्रदार्थो का समुचित उपयोग करते हुऐ नवीनतम तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरित करना तथा इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उसका संचालन करना तथा ग्राम्य विकास के लिए योजनाये बनाना तथा उसे कियान्वित कराना एवं ग्रामीण तथा शहरी अंचल में कूडे–कचरे के प्रबंधन की उचित व्यवस्था करना एवं स्वच्छता कार्यकम के अन्तर्गत शौचालय, पेय जल एवं अन्य स्वच्छता कार्यकमो का संचालन करना।

47– राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने तथा ~~उससे~~ सम्बन्धित हर संभव प्रयास एवं कार्य करना।

Himanshu

Mallika

Niharika

L C Nikhad

Reeta Rani

Shashi Bhu

सकुन्तला

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता 13-2-20

विकास ग्रुप आफ एजूकेशनल सोसाइटी 753ए राजेन्द्र नगर कालोनी (पूर्वी) मधुर मिलन के सामने पो0 गोरखनाथ जिला गोरखपुर पिन 273015 के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2019–2020

क्र0सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
01	श्री शशिभूषण	श्री रामशरण प्रसाद	753 ए राजेन्द्र नगर कालोनी (पूर्वी) पो0 गोरखनाथ, गोरखपुर	अध्यक्ष	क0इ0
02	श्री हिमांशु भूषण	श्री शशिभूषण	753 ए राजेन्द्र नगर कालोनी (पूर्वी) पो0 गोरखनाथ, गोरखपुर	उपाध्यक्ष	क0इ0
03	श्रीमती रीता रानी	श्री शशिभूषण	753 ए राजेन्द्र नगर कालोनी (पूर्वी) पो0 गोरखनाथ, गोरखपुर	सचिव	समाज सेविका
04	श्रीमती सकुंतला देवी	श्री भूप नारायन	76–बी, करीमनगर चोराहा, मिलीनियम सिटी नई कॉलोनी, पोस्ट– चरगावां गोरखपुर	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा
05	श्री लालचन्द निषाद	स्व0 [illegible]	मोहद्दीपुर, गोरखपुर	~~सदस्य~~ ऑडिटर	समाज सेवा
06	श्रीमती निहारिका	पत्नी डा0 लोकेन्द्र कुमार मिश्र	ग्राम–करहरतारा (गरौली), निकट कटका पराव जिला मिर्जापुर उ0प्र0	सदस्य	समाज सेवा
07	श्री चन्द्रजीत	स्व0 रामजियावन	ग्राम रतनपुरवा टोला लोफिया बांध, महराजगंज	सदस्य	समाज सेवा
08	सुश्री मल्लिका	श्री शशिभूषण	753 ए जारेन्द्रनमर कालोनी पो0 गोरखनाथ, गोरखपुर	सदस्य	क0इ0

Shashi Bhushan

Reeta Rani

Niharika

Himanshu

Mallika

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता.....
मिलान कर्ता...... 2020

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम — विकास ग्रुप आफ एजुकेशनल सोसाइटी

(2) संस्था का पूरा पता — 753,ए राजेन्द्र नगर कालोनी (पूर्वी) मयुर मिलन के सामने पोस्ट आफिस– गोरखनाथ, जनपद–गोरखपुर पिन 273015

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

(4) संस्था की सदस्यता एवं सदस्यो के वर्ग

(क) –साधारण सदस्य–

इस संस्था में बालिग स्त्री जो उ0प्र0 के एवं अन्य प्रदेशों के निवासी है सदस्य हो सकेंगे और इनका कार्य स्मृति पत्र मे लिखे गये कार्यो को करना तथा शैक्षिक सामाजिक एवं तकनीकी उत्थान के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्य जो स्मृतिपत्र मे लिखा गया है उसको करना है।

(ख)–विशिष्ट सदस्य–

विशिष्ट सदस्यों मे संस्था के दो सदस्य होंगे जिनमे दो मूल संस्थापक सदस्य है जिनका नाम शशिभूषण व रीतारानी है। जिनको विशेष अधिकार के सम्बन्ध में यह अधिकार दिया जाता है कि संस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अथवा वित्तीय अनियमितता होने पर जिससे संस्था की इज्जत खराब होने लगे तो उपर वर्णित विशिष्ट सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वह संस्था के साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति को भंग कर दे और 6 माह के अन्दर पुनः समिति का चुनाव करा देवें। परन्तु आजीवन सदस्यों की सदस्यता नई कार्यकारिणी मे भी सुरक्षित होगी। इसमे विशिष्ट सदस्यों और आजीवन सदस्यों को हटाने का किसी को अधिकार प्राप्त नही होगा तथा अध्यक्ष (शशिभूषण) को यह अधिकार होगा कि वह अपने बाद जिसे चाहे उसको अध्यक्ष पद पर मनोनीत कर सकता है। प्रत्येक सदस्य को साल में एक बार 100/– रूपया सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(5) सदस्यता की समाप्ति –

1 – मृत्यु होने पर।
2 – दिवालिया होने पर।
3 – संस्था के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
4 – सदस्यता शुल्क न देने पर।

(6) संस्था के अंग –

1–साधारण सभा 2–प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा–

Himanshu Mallika Niharika
L C Nishad
Reeta Rani
Shashi Bhushan
सकुन्तला

सहायक रजिस्ट्रार

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम — विकास ग्रुप आफ एजुकेशनल सोसाइटी

(2) संस्था का पूरा पता — 753,ए राजेन्द्र नगर कालोनी (पूर्वी) मधुर मिलन के सामने पोस्ट आफिस– गोरखनाथ, जनपद–गोरखपुर पिन 273015

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

(4) संस्था की सदस्यता एवं सदस्यो के वर्ग

(क) –साधारण सदस्य–

इस संस्था में बालिग स्त्री जो उ0प्र0 के एवं अन्य प्रदेशों के निवासी है सदस्य हो सकेंगे और इनका कार्य स्मृति पत्र में लिखे गये कार्यो को करना तथा शैक्षिक सामाजिक एवं तकनीकी उत्थान के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्य जो स्मृतिपत्र में लिखा गया है उसको करना है।

(ख)–विशिष्ट सदस्य–

विशिष्ट सदस्यों में संस्था के दो सदस्य होंगे जिनमे दो मूल संस्थापक सदस्य है जिनका नाम शशिभूषण व रीतारानी है। जिनको विशेष अधिकार के सम्बन्ध में यह अधिकार दिया जाता है कि संस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अथवा वित्तीय अनियमितता होने पर जिससे संस्था की इज्जत खराब होने लगे तो उपर वर्णित विशिष्ट सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वह संस्था के साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति को भंग कर दे और 6 माह के अन्दर पुनः समिति का चुनाव करा देंदें। परन्तु आजीवन सदस्यों की सदस्यता नई कार्यकारिणी मे भी सुरक्षित होगी। इसमे विशिष्ट सदस्यों और आजीवन सदस्यों को हटाने का किसी को अधिकार प्राप्त नही होगा तथा अध्यक्ष (शशिभूषण) को यह अधिकार होगा कि वह अपने बाद जिसे चाहे उसको अध्यक्ष पद पर मनोनीत कर सकता है। प्रत्येक सदस्य को साल में एक बार 100/– रूपया सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(5) सदस्यता की समाप्ति —

1 — मृत्यु होने पर।
2 — दिवालिया होने पर।
3 — संस्था के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
4 — सदस्यता शुल्क न देने पर।

(6)संस्था के अंग —

1–साधारण सभा

2–प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा–

Himanshu Mallika Niharika L C Nishad

Reeta Rani Shashi Bhushan

शकुन्तला — [signature]

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

गठन–सभी प्रकार के सदस्य जो संस्था के लिए बनाए गये है को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठक–साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक सात दिनों की सूचना देकर बुलाई जा सकती है और सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति–साधारण सभा की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों का होगा।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि–संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा।

(7) ~~प्रबन्धकारिणी समिति~~ साधारण सभा Shashi Bhu

1 प्रबन्धसमिति का गठन करना।

2 प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये गत वर्ष का आय व्यय स्वीकृत करना तथा अगामी वर्ष के लिए आय व्यय की संस्तुति प्रदान करना।

3 आय व्यय निरिक्षण (आडिटर) की नियुक्ति करना।

4 सदस्यों के त्याग पत्र अध्यक्ष के संस्तुति प्रदान करना, तथा अध्यक्ष के संस्तुति पर रिक्त स्थान की पूर्ति अध्यक्ष के संस्तुति पर ही साधारण बैठक द्वारा किया जायेगा।

Shashi Bhu ~~बैठक~~ गठन – प्रबन्ध कारिणी समिति प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 5 पदाधिकारी व 3 सदस्य होगें कुल संख्या 8 की होगी।

बैठक–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के पूर्व सूचना देकर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियो व सदस्यों को कम से कम तीन दिन पूर्व देना होगा। विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व देना होगा।

गणपूर्ति–प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यो की 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति – रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों 2/3 बहुमत के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन पर किया जायेगा।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमो का चयन व उनका सफलतापूर्वक आयोजन/कियान्वयन करना।

2 आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा वार्षिक आय व्यय का बजट बना कर साधारण सभा से अनुमोदन कराना।

3 संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना एवं आवश्यकता अनुसार कार्यालय को स्थानान्तरण करना।

4 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति तथा उप समितियों का गठन करना।

5 अध्यक्ष द्वारा प्राप्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट मंजूर करना।

6 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

7 राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं तथा अप्रवासी भारतीयों से दान एवं उपहार प्राप्त करना।

Shivanshu Mallika Niharika

L C Nishad

Reeta Rani Shashi Bhu

सबुतलता

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स
...पुर (उ० प्र०)

8 प्रान्तीय, केन्द्रीय सरकार, संस्था एजेंसी तथा बैंको द्वारा कार्यक्रमों के संचालन हेतु ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

9 विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों से परामर्श लेना तथा सलाहकार समितियों का गठन करना।

10 केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, बैंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट व अन्य समाज सेवी संस्थाओं से दान ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

11 समिति विभिन्न विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त कर महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण हेतु बी0एड0,बी0पी0एड0 तथा बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण हेतु विद्यालय की स्थापना करना।

12 संस्था यदि किसी ट्रस्ट का निर्माण करती है तो समिति के नियम नियमावली एक ही होगी।

13 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं को तैयार करना तथा संस्था संचालित विद्यालय को विभाग/शासन से सम्बद्धता कायम करना।

14 समिति द्वारा जितने भी स्कूल खोले जायेगे उसके लिए एक ही प्रबन्धसमिति होगी।

8– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार–

अध्यक्ष –

1 सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2 बैठको को बुलाना एव अनुमोदन करना।
3 बैठको मे शान्ति व्यवस्था कायम करना।
4 संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप मे कार्य करना।
5 सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना और उसकी रसीद देना।
6 कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलम्बन व निष्कासन करना।
7 अनुशासन बनाये रखने का प्रयास करना।
8 बिल वाउचरो को चेक करना।
9 संस्था की तरक्की के लिए हर सम्भव प्रयास करना।
10 वार्षिक बजट तैयार करना।
11 सदस्यों द्वारा गलत कार्य करने पर उन्हें दण्डित करना।
12 अध्यक्ष के अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सारे कार्यो को उपाध्यक्ष करेगा। और वही बैठको की अध्यक्षता करेगा।
13 अध्यक्ष बैंक मे जमा रूपये मे से 20 (बीस लाख तक) रूपया एक मुश्त निकाल सकता है, और उसका विवरण प्रबन्धसमिति को देने के बाद पुनः 20 (बीस लाख) निकाल सकता है।
14 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति, विकास, विस्तार हेतु संस्थाहित में भूमि कय करना, लीज पर प्राप्त करना, तथा स्वयं के हस्ताक्षर से रजिस्ट्री का कार्य करना।

उपाध्यक्ष–

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष व सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के उत्तरदायित्वों का पूर्ण जिम्मेदारी से निभाना। एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे बोर्ड की अध्यक्षता करना।
2 संस्था के सारे लेखा–जोखा रखेगा।
3 अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके द्वारा अधिकृत किये गये सारे अधिकारो का प्रयोग उपाध्यक्ष करेगा।

Himanshu Mallika Niharika

L.C. Nishad

Reeti Rani

Shashi... शकुन्तला

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

सचिव–

1 बैठकों को बुलाने का कार्य सचिव करेगा।

2 सचिव की अनुपस्थिति में उसके सारे अधिकार का प्रयोग उपाध्यक्ष करेगा।

3 संस्था के बैठकों की कार्यवाही लिखना व उसका अनुमोदन करना।

4 अध्यक्ष व सचिव मिलकर किसी बैंक में संस्था के नाम खाता खोलेंगे व अध्यक्ष व सचिव के नाम से ही पैसा जमा किया जायेगा। और दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकाला जायेगा परन्तु उक्त धनराशि निकालने का प्रबन्धसमिति के अनुमोदन के उपरान्त ही दोबारा धनराशि निकाल सकेंगा।

कोषाध्यक्ष–

1 संस्था के लिए धन एकत्र करना।

2 संस्था के कोष को संस्था के द्वारा खोले गये बैंक में रूपया जमा करवाना।

3 आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना।

4 कोष का देख–भाल करना।

आडिटर–

1 साधारण सभा द्वारा चुना जायेगा।

2 आडिटर साल में एक बार लेखा–जोखा, आय व्यय को बनाकर प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष पेश करेगा। तत्पश्चात साधारण सभा की बैठकों से पास करायेगा।

9– संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :- संस्था के नियमों विनियमों संशोधन व परिवर्तन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में किया जायेगा।

10–संस्था का कोष– संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या निकट के पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर रखा जायेगा। संचालन अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

11–संस्था का आडिट– संस्था की आय–व्यय का आडिट प्रतिवर्ष आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

12–संस्था के विरूद्ध मुकदमा– संस्था के विरूद्ध मुकदमा सचिव व अध्यक्ष के विरूद्ध दाखिल किया जा सकता है, तथा अध्यक्ष व सचिव ही किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दाखिल कर सकते है, परन्तु मुकदमों की पैरवी सचिव व अध्यक्ष में से ही कोई भी कर सकता है, और सुलहनामा दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर से ही किया जा सकता है।

13– संस्था के सफल संचालन हेतु सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैश–बुक, स्टाक रजिस्टर व रसीद बुक इत्यादि रखे जायेंगे।

14– संस्था के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1890 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

हस्ताक्षर

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक 04/02/2020

Himanshu Mallika Niharika

L C Nishad

Reeta Rani Shashi Bhushan संकुन्तला

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

उ०प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता ...

मिलान कर्ता ...